ग्रा0वि0-6-NRLM/01-16/2025...4254446

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक-25/06/2025

विषय : बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित स्वयं सहायता समूह को 3 लाख रुपए से अधिक एवं 10 लाख रुपए की अधिसीमा तक की बैंक ऋण राशि को 7% की ब्याज दर पर उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त ब्याज की राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, बिहार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय सामुदायिक संगठनों यथा स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन को संपोषित किया जाता है। जीविका द्वारा त्रिस्तरीय सामुदायिक संगठनों की संरचना के तहत लगभग 11 लाख स्वयं सहायता समूह, 72056 ग्राम संगठन एवं 1668 संकुल स्तरीय संगठन का गठन किया गया है। स्वयं सहायता समूह को चक्रीय निधि एवं आरंभिक पूँजी निवेश के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही बैंक के साथ लिंकेज कराकर राशि उपलब्ध करायी जाती है जिसे वह अपने सदस्यों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराते हैं ताकि सदस्य विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों में निवेश कर अपनी आय में वृद्धि कर सके।

2. अब तक लगभग 10 लाख 13 हजार समूहों का बैंक लिंकेज कराया गया है एवं लगभग 55 हजार करोड़ रूपये की ऋण सीमा उपलब्ध करायी गयी है। मार्च, 2025 के अंत तक शेष बकाया राशि लगभग 25 हजार करोड़ रूपये है।

3. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 21 जुलाई 2022 के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को 3 लाख रुपये तक के बैंक ऋण की राशि पर 7% वार्षिक ब्याज के दर से भुगतान करना होता है। इससे अधिक की

राशि तथा 5 लाख रुपये तक की बैंक ऋण राशि पर लगभग 10% वार्षिक ब्याज दर से भुगतान करना होता है। 3 लाख रुपये से अधिक तथा 5 लाख रुपये तक की बैंक ऋण राशि लगभग 10% के ब्याज दर पर उपलब्ध होने हेतु यह मानक रखा गया है कि संबंधित समूह का खाता नियमित श्रेणी में वर्गीकृत हो। व्यावहारिक रूप में स्वयं सहायता समूहों को यह राशि लगभग 9% वार्षिक ब्याज दर पर वर्तमान में उपलब्ध है।

4. अभी तक बिहार राज्य में लगभग 5.70 लाख स्वयं सहायता समूह ऐसे हैं जिन्हें 3 लाख रुपये तक की राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध हुई है। साथ ही 3 लाख रुपये से ज्यादा तथा 5 लाख रुपये तक बैंक ऋण की राशि पाने वाले समूहों की संख्या लगभग 3 लाख है। शेष लगभग 1.43 लाख स्वयं सहायता समूहों को इससे ज्यादा की राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध है। 1.43 लाख स्वयं सहायता समूह जो 5 लाख रुपये की बैंक ऋण सीमा के बाहर हैं, उन्हें विभिन्न बैंकों के द्वारा अलग–अलग ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। यह ब्याज दर लगभग 10.40% से 12.30% तक की श्रेणी में आता है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के माध्यम से यह रेखांकित करना है कि कालांतर में ऐसे समूहों की संख्या क्रमशः बढ़ती जाएगी जिन्हें लगभग 10% अथवा इससे अधिक तक के ब्याज पर बैंक ऋण प्राप्त होगा। ऊंची ब्याज दर होने के कारण सदस्यों द्वारा स्व–रोजगार के आयामों को विस्तारित करने में कठिनाई महसूस होती है। इस क्रम में समूहों द्वारा ब्याज भुगतान में ज्यादा व्यय किया जाता है एवं अपने सदस्यों को ऋण देने के लिए राशि कम बचती है। अतः 7% ब्याज दर की एकरूपता आने से कम ब्याज दर पर समूह की महिलाओं को ऋण उपलब्ध हो पाएगा। जिससे स्व–रोजगार के लिए पूंजी प्रवाह में बढ़ोतरी होगी तथा सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों पर निर्भरता कम होगी।

5. स्वयं सहायता समूहों को 3 लाख रुपये से अधिक एवं 10 लाख रुपये तक की बैंक ऋण राशि पर भी 7% का ही ब्याज दर अनुमान्य किए जाने का निर्णय लिया गया है तथा इस मद में राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। ब्याज अनुदान के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 में लगभग 225 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। ब्याज अनुदान की राशि भविष्य में ऋण के अनुपात में बढ़ सकती है।

6. इस पर दिनांक–24-06-2025 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं.–34 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
25/6/2025

ज्ञापांक 4254446 / पटना, दिनांक– 25/06/2025

प्रतिलिपि– ई–गजट कोषांग, वित्ति विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 100 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भी उपलब्धं करायी जाय ।

सरकार के सचिव
25/6/2025

ज्ञापांक 4254446 / पटना, दिनांक– 25/06/2025

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव
25/6/2025

ज्ञापांक 4254446 / पटना, दिनांक– 25/06/2025

प्रतिलिपि– राज्यपाल के प्रधान सचिव/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त/अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व परिषद, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्याक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव
25/6/2025

ज्ञापांक 4254446 / पटना, दिनांक– 25/06/2025

प्रतिलिपि– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका/ वित्त विभाग, बजट शाखा/ योजना एवं विकास विभाग/बजट शाखा, ग्रामीण विकास विभाग/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

25/6/25

ज्ञापांक 4254446 / पटना, दिनांक– 25/06/2025

प्रतिलिपि– आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव

25/6/25